

FP/UP/ROAD/123673/2021

भाग 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :
लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें।
(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक :
की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और
विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

ए. आगराकी संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।

तिथि :- 2/6/22
स्थान:-

हस्ताक्षर:- Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

नाम:-
सरकारी मोहर:-